तृतीय

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण

2017–18

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

अलवर

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित)

निदेषकों की रिपोर्ट

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए

निदेषकों को 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के संचालन संबंधी अंकेक्षित खाते तृतीय वार्षिक रिपोर्ट के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए बेहद खुषी का अनुभव हो रहा है।

कंपनी का निगमन कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत एक उत्पादक कंपनी के रूप में 19 मार्च, 2016 को राजस्थान राज्य में दूध एवं दूध उत्पादों का प्राथमिक तौर पर इसके सदस्यों से संग्रहण, क्रय तथा प्रसंस्करण करने एवं उनके विपणन तथा उनसे संबन्धित सभी प्रकार की क्रियाओं हेतु किया गया था ।

वित्तीय परिणामः–

31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए कम्पनी के वित्तीय प्रदर्षन का विवरण निम्नानुसार हैः

लाख रु में

विवरण	1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के लिए
कुल राजस्व	2670.40
कुल व्यय	2593.31
कर से पहले लाभ / हानि	77.29
कर व्यय	21.18
कर के बाद लाभ/ हानि	56.10
सीमित रिटर्न (लाभांष) (लाभांष कर सहित)	4.23
संचय में हस्तांतरण	51.81

कम्पनी के संचालन का विवरणः

अवधि के दौरान कम्पनी की कुल बिक्री (टर्नओवर) 2670.40 लाख रु रही, जिसमें 2632.93 लाख संचालनात्मक राजस्व तथा 37.47 लाख रु अन्य आय षामिल है। अवधि के दौरान कुल व्यय 2593.31 लाख रु रहा।

इस अवधि के दौरान कुल आय 2670.40 लाख रु तथा कर से पहले लाभ 77.29 लाख रुपये है।

संचालन कार्य :

दूध की खरीदः–

कम्पनी ने दूध खरीद गतिविधियों की शुरुआत राजस्थान के अलवर जिले में 12 नवम्बर 2016 से की है। कंपनी की दूध खरीद संचालन गतिविधियाँ राजस्थान के अलवर जिले तक फैले हुए हैं और 31 मार्च 2018 तक 2 बीएमसी के 100 एमपीपी (मिल्क पूलिंग पॉइंट्स) के साथ 5 जिलहों के 100 गाँवों में कार्य कर रही है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने 5535610.70 लीटर कच्चे दूध की खरीद की है।

वित्तीय वर्श के अंत तक 6834 सदस्यों ने सदस्यता ली जिसमें से 6250 सदस्यों ने दूध की आपूर्ति कर इस प्रकार सदस्यों ने कंपनी के कामकाज में अपना विश्वास दिखाया है। यह स्वस्थ संकेत कंपनी की विकास गाथा की शुरुआत को दर्शाता है जो निश्चित रूप से

अधिक से अधिक सक्रिय सदस्यों के विषयगत सहायता और समर्थन के साथ आने वाले वर्षों में उच्च स्तर तक पहुंच जाएगा। सक्रिय सदस्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2018 की अवधि के लिए योग्य सदस्यों को उनके संरक्षण के अनुपात में 17,48,900 रुपये लायल्टी प्रोत्साहन राशि के रूप में कंपनी ने वितरित किया है । यह संकेत कम्पनी के विकास की षुरूआत की पुश्टि करता है, जो निष्चित रूप से आने वाले सालों में सक्रिय सदस्यों के बीच आपसी सहायता को बढ़ावा देगा।

आपूर्ति किए जाने वाले दूध के लिए कम्पनी अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धी एवं लाभकारी मूल्य दे रही है। कम्पनी प्रभाविता बढ़ाकर उत्पादकता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है और लॉजिस्टिक लागत में कमी लाने, बेहतर निरीक्षण, गुणवत्ता की जांच एवं बेहतर लॉजिस्टिक नियन्त्रण आदि के लिए काम कर रही है।

आगामी योजना

धानी फाउंडेशन द्वारा अनुमोदित 100 अतिरिक्त गांवों को कवर करने वाले दूसरे विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर) के कार्यान्वयन के लिए काम किया गया । आज तक सभी 100 अतिरिक्त गांवों में दूध खरीद संचालन शुरू कर दिया गया है।

उपर्युक्त के अलावा मुख्य रूप से गाय बेल्ट क्षेत्रों में विस्तार के लिए एक नया परियोजना प्रस्ताव इस वित्तीय वर्ष में धानी फाउंडेशन के समक्ष रखा जाएगा ।

गुणवत्ता के लिए पहलः

इस्तेमाल में आने वाले सभी बल्क मिल्क कूलर मूल जांच सुविधाओं तथा कच्चे दूध की गुणवत्ता की जांच के लिए सभी उपकरणों से युक्त हैं। अपने संचालन में गुणवत्ता के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए कम्पनी सभी सम्बन्धित लोगों को अपना पूरा सहयोग एवं प्रषिक्षण प्रदान करती है, जिसमें हाइजीन, जो दूध की गुणवत्ता से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है पर विषेश रूप से ज़ोर दिया जाता है और इसे सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया अपनायी जाती है। गुणवत्ता युक्त स्वच्छ दूध उत्पादन केलिए 122 प्रषिक्षणों का आयोजन किया गया और 3140 सदस्यों को प्रषिक्षित किया गया।

उत्पादकता वृद्धि सेवाएँ :

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सखी एमएमपीसी ने अपने सदस्यों को 330.9 मीट्रिक टन कैटल फ़ीड और 5.4 मीट्रिक टन खनिज मिश्रण बेचने की व्यवस्था की है। कंपनी ने राशन बैलेंसिंग कार्यक्रम के तहत 100 गांवों में 709 जानवरों को कवर किया है। 31 मार्च 2018 तक 19 मैट्स द्वारा 3684 पशुओं को **कृत्रिम** गर्भाधान की सेवा कंपनी द्वारा एक मानक संचालन प्रक्रिया अपना कर उपलब्ध करायी गयी है। कंपनी ने दूध उत्पादकों की आवश्यकता अनुरूप 105 इन्फेर्टिलिटी कैंप आयोजित किये हैं । कंपनी ने 26 डेयरी प्रबंधन कार्यक्रमों का आयोजन भी किया है जिसमें 650 दूध उत्पादकों ने भाग लिया ।

कंपनी के मूल सिद्धान्तः

कंपनी के मूल सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया गया। व्यापार सौदे केवल सदस्यों के साथ ही सीमित थे। सक्रिय उपयोगकर्ता सदस्यता और व्यापार और शासन में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। अधिकांश सक्रिय सदस्यों ने वर्ष के दौरान न्यूनतम शेयर पूंजीगत योगदान पूरा किया है।

सदस्य संचार और शिकायत निवारण व्यावसायिक रूप से प्रबंधित व्यापार संचालन और जल्द से जल्द व्यवहार्यता और आत्म–जीविता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पैमाने की अर्थव्यवस्था के लिए उचित तंत्र शुरू किया जा रहा है ।

उत्पादक संस्था निर्माण :

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी एक स्तरीय संरचना वाली कंपनी है जिसमें हजारों महिलाएं सदस्य हैं और इसका अभिशासन उनके द्वारा चुने गए निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है । कंपनी से जुड़े सभी हितधारकों के क्षमता विकास के लिए उत्पादक संस्था निर्माण कार्यक्रम के तहत सदस्य, निदेशकों को एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है जिससे कंपनी का प्रशासन बेहतर और प्रबंधन सदस्य उन्मुख होता है ।

उत्पादक संस्था निर्माण ;पीआईबी) विभाग बेहतर प्रशासन और सदस्य केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से व्यवसाय को मजबूत करती है। पीआईबी गतिविधियां मुख्य रूप से अपने खुले और पारदर्शी शासन प्रणाली और उनके संरक्षण के बराबर सदस्य इक्विटी के माध्यम से डेयरी सेक्टर के अन्य खिलाड़ियों से निर्माता कंपनी को अलग करती हैं। दूध मार्ग स्तर पर गांव स्तर और सदस्य संबंध समूह (एमआरजी)

में अनौपचारिक ग्राम संपर्क समूह (वीसीजी) के गठन के लिए प्रयास किए गए हैं। 89 वीसीजी और 5 एमआरजी समूहों का गठन किया गया। इन समूहों के लिए 160 ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित

किए गए हैं और वे अपने संबंधित दूध पूलिंग पॉइंट्स (एमपीपी) के प्रदर्शन की समीक्षा और निगरानी करने के लिए नियमित अंतराल पर मिलते रहे ।

प्रषिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमः

सदस्यों को कंपनी से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ताकि वे अपनी भूमिका और ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरह समझ सकें। समय–समय पर प्रषिक्षण प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें सदस्यों, भावी सदस्यों, बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों ने भाग लिया । वर्श 2017–18 के दौरान आयोजित प्रमुख प्रषिक्षण कार्यक्रम हैंः–

क्रम संख्या	प्रषिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम	आयोजित कार्यक्रमोंकी संख्या	प्रषिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1	व्यापार और शासन रणनीति कार्यशाला	1	10
2	निदेशक मंडल के लिए एक्सपोजर विजिट	1	10
3	कर्मचारियों और फील्ड कर्मचारियों के लिए रिफ्रेशर कार्यक्रम	2	29
4	गांव स्तर के जागरूकता कार्यक्रमों के लिए फील्ड स्टाफ के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	1	15
5	ग्राम स्तर के जागरूकता कार्यक्रमों के लिए फील्ड स्टाफ के लिए रिफ्रेशर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम	1	10
6	उत्पादक जागरूकता कार्यक्रम	172	4049
7	गुणवत्ता युक्त स्वच्छ दूध उत्पादन कार्यकरम	160	4049
8	ग्रामीण युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम	3	84
9	ग्रामीण स्कूल-जागरूकता कार्यक्रम	5	238
10	वीसीजी अभिविन्यास कार्यक्रम	155	1117
11	एमआरजी अभिविन्यास कार्यक्रम	5	117
12	नेतृत्व विकास कार्यक्रम	1	27

पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबन्धन कार्य योजनाः

इसके संचालन की प्रस्तावना वित्तीय वर्श 2018.19 के दौरान दी गई है।

वित्तीय वर्श की समाप्ति के बाद भौतिक बदलावः

31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्श के बाद कोई भौतिक / बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं ।

कारोबार के स्वभाव में बदलावः

समीक्षारत वर्श के दौरान कम्पनी के कारोबार के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं लाया गया।

शेयर पूंजी एवं सदस्यता:

31 मार्च 2018 को कंपनी की 6751 सदस्यों द्वारा कुल प्रदत्त हिस्सा राशि रु 4369900 थी।

वार्षिक आम सभा में उपस्थिती एवं मतदान अधिकार :

वे दूध उत्पादक महिलाएं जो इस रिपोर्ट की तारीख तक सदस्य थीं, वे वार्षिक आम सभा में हिस्सा ले सकती हैं। तीसरी वार्षिक आम सभा के लिए प्रत्येक सदस्या के पास एक ही वोट होगा।

निदेशक मंडल :

समीक्षारत वित्तीय वर्श के दौरान श्री बलजींदर सिंह सैनी को 4 जुलाई 2017 और श्री ब्रजेश नारायण सिंह को 8 जून 2018 से दो साल की अवधि के लिए कंपनी के विशेषज्ञ निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया है। कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार श्रीमती जुल्फिना बानो आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत होंगी और पुनः नियुक्ति के लिए योग्य होंगी।

श्रीमती रचना शर्मा, श्रीमती प्रियंका यादव, श्रीमती मंजू देवी और श्रीमती अंजना कुमारी को कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.7 के अनुसार 23 जनवरी 2018, 23 जनवरी 2018, 12 फरवरी 2018 और 14 जून 2018 से अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार यह निदेशक कम्पनी की आगामी वार्षिक आम सभा तक कार्यभाल संभालेंगीं और शेयर धारकों द्वारा निदेशक के रूप में पुनः नियुक्ति के लिए विचार योग्य होंगीं ।

बोर्ड निदेशकों का प्रशिक्षण :

रिपोर्ट की अवधि के दौरान निदेशकों को कम्पनी के बिजनेस मॉडल पर प्रशिक्षित किया गया और उन्हें उनकी ज़िम्मेदारियों, कर्तव्यों और क्षमता निर्माण के बारे भी जागरुक बनाया गया ।

कम्पनी के दीर्घ कालिक स्थायी विकास को बरक़रार रखने के लिए संगठन में सभी स्तरों पर सांझा दृश्टिकोण लाने हेतुतीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कम्पनी के निदेशक मंडल ने कम्पनी के लिए मूल्य, ध्येय, दीर्घ दृष्टि और दीर्घ कालीन उद्देश्यों को अंतिम रूप दिया। दूध खरीद, दूध उत्पादन और विपणन गतिविधियों के बारे में और जानकारी देने के लिए पायस मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी जयपुर की यात्रा के लिए निदेशकों को ले जाया गया ।

निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण:

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 के तहत निदेषक पुश्टि करते हैं कि:

- सालाना खातों की तैयारी में कम्पनी द्वारा खातों के मानकों का पालन किया गया है;
- निदेशकों ने ऐसी अकाउन्टिंग नीतियों को अपनाया और लागू किया है जो उचित एवं विवेकपूर्ण हैं और 31 मार्च 2018 को कम्पनी के मामलों का सही एवं निश्पक्ष विवरण प्रदान करती हैं और इस अवधि के लिए कम्पनी के खातों का स्पश्ट विवरण देती हैं।
- निदेशकों ने कम्पनी की सम्पत्तियों को सुरक्षित रखने तथा इसे किसी भी तरह की धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमतताओं से बचाने के लिए इस अधिनियम के अनुसार लेखा रिकॉर्ड्स का उचित रखरखाव एवं देखभाल की है; और
- निदेशकों ने मौजूदा नियमों के आधार पर वार्शिक खाते तैयार किए हैं।

अंकेक्षक :

कम्पनी के अंकेक्षक मैसर्स कलानी एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स, जयपुर आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत हो रहे हैं और अगर उन्हें पुनः नियुक्त किया जाता है तो उन्होंने कार्यालय का कार्यभार संभालने के लिए योग्यता एवं इच्छा की पुश्टि की है।

निदेशक मंडल ने मैसर्स कलानी एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट, जयपुर को आगामी वार्षिक आम सभा में कम्पनी को फिर से अंकेक्षकनियुक्त किए जाने की अनुषंसा की है।

आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली एवं लेखापरीक्षा :

कम्पनी के पास उचित एवं उपयुक्त आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली है जो सुनिष्चित करती है कि सभी सम्पत्तियों को सुरक्षित रखा जाए और सभी लेनदेन अधिकृत हों एवं ठीक से दर्ज किए जाएं। खातों का आंतरिक लेखापरीक्षण नियमित रूप से चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स की फर्म मैसर्स रे एण्ड रे, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स द्वारा किया जाता है। आंतरिकलेखापरीक्षक स्वतन्त्र रूप से आंतरिक नियन्त्रण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करते हैं और लेखापरीक्षण करते हैं।

मानव संसाधन :

कम्पनी का यह मानना है कि कम्पनी के प्रदर्षन में कंपनी से जुड़े लोगों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सखी कंपनी अपने सदस्य, कर्मचारियों एवं बोर्ड के जुनून, प्रतिबद्धता, स्वामित्व की भावना एवं टीमवर्क के चलते ही विकास के इस मुकाम पर पहुंच सकी है। कम्पनी हमेषा से कार्य के लिए सकारात्मक, समर्थक, खुला माहौल प्रदान करती है जहां नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है और कर्मचारियों को उनकी सही क्षमता पहचानने के लिए प्रेरित किया जाता है।

कंपनी के दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए कंपनी के दीर्घ दृष्टि, ध्येय और मूल्यों का पालन संगठन के सभी स्तरों पर सच्चे भावना से किया जा रहा है।

सूचना प्रोद्यौगिकी :

सखी कंपनी सूचना प्रोद्यौगिकी का उपयोग करते हुए अपने दूध व्यवसाय एवं तकनीकि सुविधाओं के आंकड़ों को सदस्यवार रखती है जिसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। सखी कंपनी,दक्षता में सुधार लाने, निर्णय निर्धारण को बेहतर बनाने तथा राजस्व बढ़ाने के लिए उचित तकनीकों को अपनाने के लिए प्रयासरत है।

कर्मचारियों का विवरण :

रिपोर्ट के तहत साल के दौरान कम्पनी अनिधियम 1956 के अनुसार कम्पनी के किसी भी कर्मचारी को निर्धारित सीमा के बराबर या अधिक मेहनताना प्राप्त नहीं हुआ।

सुरक्षा एवं स्वास्थ्य :

कम्पनी अपने कर्मचारियों को सुरक्षित एवं स्वास्थ्यप्रद कार्यस्थल प्रदान करती है। यहां हमेषा कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है, विषेश रूप से दूध के साथ काम करने वाले कर्मचारियों पर हम खास ध्यान देते हैं।

उर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेश, विदेशी विनिमय आय तथा निकासी

कम्पनी दूध एवं दूध उत्पादों के कारोबार में है। हालांकि कम्पनी ने उर्जा संरक्षण के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए हैं और इस दिषा में प्रगति के लिए संवेदनषील है। प्रषासन एवं कार्यालय गतिविधियों का संचालन इस तरह से किया जाता है कि जहां तक हो सके उर्जा की ज़्यादा से ज़्यादा बचत की जाए। इसके अलावा कम्पनी की कारोबारी गतिविधियों में किसी विषिश्ट तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा साल के दौरान विदेषी विनिमय के कारण आय और व्यय शून्य है।

बोर्ड बैठकें:

वित्तीय वर्श 2017–18 के दौरान कम्पनी के निदेशक मंडल की चार (4) बैठकें 13.06.2017, 25.09.2017, 21.12.2017, 06.03.2018 को विधिवत बुलाई और आयोजित की गईं।

अंकेक्षक की रिपोर्ट :

अंकेक्षक की रिपोर्ट प्रासंगिक और व्याख्यात्मक हैं, इसलिए इस पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है ।

आभार :

निदेषक मंडल कम्पनी के सदस्यों, राजस्थान सरकार, बिजनेस एसोसिएट्स एवं बैंकरों को साल के दौरान सहयोग एवं योगदान के लिए धन्यवाद देता है।

निदेषक मंडल धानी फाउन्डेषन एवं एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज़ के प्रति भी आभारी है जिसने अपना सतत सहयोग और प्रोत्साहन प्रदान किया है।

बोर्ड अपने सभी कर्मचारियों के सहयोग, समर्पण एवं कड़ी मेहनत के लिए उनका आभारी है, जिनके सहयोग के बिना कम्पनी का इतना समग्र विकास सम्भव नहीं था।

निदेषक मंडल की ओर से

दिनांकः 14 जून 2018

ह/-

स्थानः अलवर

(सीमा बाई जाट)

अध्यक्षा एवं निदेषक

सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर आधारित रिपोर्ट

हमने सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया जिसमें 31 मार्च 2018 तक का बैलेंश शीट, और लाभ एवं हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सारांश और अन्य व्याख्यामूलक जानकारी शामिल है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 465 (धारा को अधिसूचित करना बाकी है) के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग । के प्रावधान एक उत्पादक कंपनी में यथोचित परिवर्तनों सहित इस ढंग से लागू होंगे मानो कंपनी अधिनियम, 1956 को तब तक निरस्त नहीं किया गया है जब तक उत्पादक कंपनियों के लिए एक विशेष अधिनियम को लागू नहीं किया जाता है। उपरोक्त बातों को छोड़कर, उत्पादक कंपनियों के सम्बन्ध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कोई विशेष प्रावधान नहीं है। ऐसा निष्कर्ष निकाला गया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान, उत्पादक कंपनी पर इस ढंग से लागू करने योग्य है मानो कंपनी अधिनियम, 1956 को निरस्त नहीं किया गया है। तदनुसार, लेखा परीक्षण किया गया है और कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग प।, ख़ास तौर पर धारा 581 ‍ळ के अंतर्गत निहित प्रावधानों पर विचार करते हुए और लेखा परीक्षण से संबंधित मानकों की मौजूदा आवश्यक शर्तों का पालन करते भी यह रिपोर्ट इस ढंग से तैयार किया गया है मानो कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को निरस्त नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट में, कंपनी अधिनियम, 1956 को "अधिनियम" कहकर और कंपनी अधिनियम, 2013 को "नया अधिनियम" कहकर संबोधित किया गया है, और दोनों को एक साथ "अधिनियमों" कहकर संबोधित किया गया है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स, इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के सम्बन्ध में नए अधिनियम (अधिनियम की धारा 215, 216, 217 के अनुसार) की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी हैं जिससे भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का एक सच्चा और निष्पक्ष दृश्य प्राप्त होता है, जिसमें नए अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उल्लिखित लेखांकन मानक भी शामिल है, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (अधिनियम की धारा 211(3स) के अनुसार) के नियम के साथ पढ़ना है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पहचान के लिए; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने के लिए; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान करने के लिए; पर्याप्त आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार, लागू और रखरखाव करने के लिए, जो लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित होते हैं जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृश्य प्रदान करते हैं और गलतबयानी से मुक्त होते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण; अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय वक्तव्यों पर एक राय व्यक्त करें।

हमने अधिनियमों के प्रावधानों और लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और मामलों को ध्यान में रखा है जिन्हें अधिनियमों और नियम के प्रावधान के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने की आवश्यकता है।

हमने नए लेख की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा का आयोजन किया। उन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का अनुपालन करते हैं और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करते हैं कि वित्तीय विवरण गलत तरीके से मुक्त हैं या नहीं।

एक लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतफहमी के जोखिमों का आकलन शामिल है। उन जोखिम आकलन करने में, लेखा परीक्षक वित्तीय विवरणों की कंपनी की तैयारी

से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को मानता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, लेकिन राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं इस पर कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है या नहीं। एक लेखापरीक्षा में उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उचितता और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता के साथ–साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करने का भी मूल्यांकन शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के आधार के लिए पर्याप्त और उचित है। हमारा उत्तरदायित्व, अपने लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

हमने अधिनियमों के प्रावधानों, लेखांकन और लेखा परीक्षण मानकों और उन मामलों को ध्यान में रखा है जिन्हें अधिनियमों के प्रावधान और उनके अंतर्गत बनाए गए नियम के अंतर्गत लेखा परीक्षण रिपोर्ट में शामिल करना जरूरी होता है।

हमने अपना लेखा परीक्षण, नए अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत उल्लिखित लेखा परीक्षण पर आधारित मानकों के अनुसार किया है। उन मानकों के लिए जरूरी है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त करने की योजना बनाएं और लेखा परीक्षण करें कि वित्तीय विवरण, गलतबयानी से मुक्त हैं।

एक लेखा परीक्षण में राशियों और वित्तीय विवरणों में खुलासों के बारे में लेखा परीक्षण के सबूत प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का पालन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की गलतबयानी के जोखिमों का आकलन भी शामिल होता है, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण। उन जोखिमों का आकलन करते समय, लेखा परीक्षक, कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित आतंरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए एक सच्चा और निष्पक्ष दृश्य प्रदान करता है। एक लेखा परीक्षण में, इस्तेमाल होने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के डायरेक्टरों द्वारा लगाए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता के मूल्यांकन साथ–साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमें विश्वास है कि हमें जो लेखा परीक्षण सबूत मिला है वह वित्तीय विवरणों पर हमारी अपनी लेखा परीक्षण राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्या के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरणों से हमें अधिनियम के द्वारा आवश्यक जानकारी आवश्यक ढंग से प्राप्त होती है और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च 2018 तक कंपनी के मामलों और उस तारीख तक उसके हानि और उसके नकदी प्रवाह के विवरण का एक सच्चा और निष्पक्ष दृश्य प्राप्त होता है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. यह कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो अधिनियम के भाग प। के अंतर्गत एक प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में पंजीकृत है। नए अधिनियम (अधिनियम की धारा 227(4।) के अनुसार) की धारा 143 की उप–धारा (11) की दृष्टि से भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है, क्योंकि वह इस कंपनी पर लागू होने लायक नहीं है।

2. नए अधिनियम (अधिनियम की धारा 227(3) के अनुसार) की धारा 143(3) की आवश्यकता के अनुसार, हमारा रिपोर्ट है कि:

हमने सारी जानकारी और व्याख्या मांगी और प्राप्त की है जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर हमारे लेखा परीक्षण के लिए जरूरी थे।

हमारी राय में, कंपनी के पास अब तक क़ानून की आवश्यकता के अनुसार उचित बही–खाता है जैसा कि उन बहियों की हमारी परीक्षा से पता चलता है;

इस रिपोर्ट से संबंधित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण, बही–खाते के अनुरूप हैं;

हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण, नए अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उल्लिखित लेखांकन मानकों के अनुरूप है, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (अधिनियम की धारा 211(3ब) के अनुसार, जिसे कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 के साथ पढ़ा जाएगा) के नियम 7 के साथ पढ़ा जाएगा।

31 मार्च 2018 को निदेशकों से मिले और बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स द्वारा रिकॉर्ड में रखे गए, लिखित वर्णन के आधार पर, किसी भी निदेशक को नए अधिनियम की धारा 164 (2) की दृष्टि से (अधिनियम की धारा 274(1)(ह) के अनुसार) एक निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से 31 मार्च 2018 तक के अनुसार अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

एमसीए अधिसूचना सं। एफ संख्या 1-11-2014– सीएल–वी के अनुसार 13–06–2017 दिनांकित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है। तथा

हमारी राय में कंपनी (लेखा परीक्षण और लेखा परीक्षक) नियम, 2016 के नियम 11 के अनुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्या के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के सम्बन्ध में:

कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो उसकी वित्तीय अवस्थिति को प्रभावित करेगा।

कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालीन अनुबंध नहीं था जिसके कारण कोई आर्थिक निकटतम नुकसान होता।

ऐसी कोई रकम नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा फंड को ट्रांसफर करना पड़े।

इस अधिनियम के भाग प। की धारा 581ळ की आवश्यकता के अनुसार, हमारी रिपोर्ट है कि

माल और सेवाओं की बिक्री से होने वाली ऋणों की राशि वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 14 में बताई गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार किसी भी ऋण को वसूली के संदिग्ध माना जाता है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांच किए गए खातों की किताबों के अनुसार न तो कंपनी के पास साल के अंत में नकदी हो रही थी और न ही कंपनी सिक्योरिटीज में कोई निवेश करती थी।

31 मार्च 2018 तक के अनुसार परिसंपत्तियों और देयताओं की विस्तृत जानकारी, 31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि को और के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार है।

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और व्याख्या के अनुसार, कंपनी ने ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है जो अधिनियम के भाग प। के प्रावधानों के प्रतिकूल लगता हो।

हमें दी गई जानकारी और व्याख्या के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशको को कोई लोन नहीं दिया है।

हमें दी गई जानकारी और व्याख्या के अनुसार, कंपनी ने इस अवधि के दौरान कोई दान या सब्सक्रिप्शन नहीं किया है।

कलानी एण्ड कंपनी के लिए

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एफ़आरएन 000722सी

ह/-

(कमलेश कुमार खंडेलवाल)

पार्टनर

संख्या 416293

स्थानः जयपुर

तारीख : 14 जून 2018

अनुबंध:

एक स्वतंत्र लेखक की रिपोर्ट के लिए

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर सखी महिला दूध उत्पादक कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को भी आज तक हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं की रिपोर्ट के अनुच्छेद (1) में निर्दिष्ट अनुलग्नक 2018 हम रिपोर्ट करते हैं कि

अपनी निश्चित संपत्ति के संबंध में:

ए) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और निश्चित परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

बी) जैसा कि हमें समझाया गया है वर्ष के दौरान चरणबद्ध अवधि में प्रबंधन द्वारा निश्चित संपत्तियों को शारीरिक रूप से सत्यापित किया गया है जो हमारी राय में उचित है कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में। ऐसे भौतिक सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।

सी) हमारे सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा कोई अचल संपत्ति नहीं आयोजित की जाती है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के प्रबंधन ने नियमित अंतराल पर सूची का भौतिक सत्यापन किया है। ऐसे भौतिक सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।

कंपनी ने नए अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल पार्टी को कोई असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। इसलिएए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है निवेश किया है या गारंटी प्रदान की है इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई जमा स्वीकार नहीं किया है इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

केंद्र सरकार ने नए अधिनियम की धारा 148 ;1द्ध के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है। इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर भविष्य निधि कर्मचारी राज्य बीमा आयकर सहित निर्विवाद सांविधिक बकाया के संबंध में खातों की पुस्तकों में कटौती /अर्जित राशि सामान और सेवा कर बिक्री कर सेवा कर सीमा शुल्क का कर्तव्य उत्पाद शुल्क मूल्यवर्धित कर सेस और अन्य भौतिक सांविधिक बकाया राशि को वर्ष के दौरान उचित अधिकारियों के साथ कंपनी द्वारा जमा किया गया है और वहां कोई बकाया नहीं था 31.03.2018 की अवधि के लिए माल और सेवा कर के भुगतान को छोड़कर 10.276 रुपये की राशि को छोड़कर जो बाद में दिए गए विवरणों के अनुसार भुगतान किया गया है:

संविधान का नाम	बकाया की प्रकृति	राशि (रु।)	जिस अवधि से संबंधित राशि संबंधित है	नियत तारीख	भुगतान की तिथि
सामान और सेवा कर	सीजीएस टी	5,138	अगस्त-2017	20.09.17	07.05.18
सामान और सेवा कर	एसजीए सटी	5,138	अगस्त-2017	20,09.17	07.05.18
कुल		10,276			

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर बिक्री कर सेवा कर सीमा शुल्क का कर्तव्य उत्पाद शुल्क या विवाद के तहत मूल्यवर्धित कर की कोई अवैतनिक बकाया राशि नहीं है।

खातों और जानकारी की किताबों की जांच के आधार पर और हमें दी गई स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने वित्तीय संस्थान या बैंक को ऋण या उधार की चुकौती में चूक नहीं की है। कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है इसलिए डिबेंचर धारकों के कारण कुछ भी नहीं है।

कंपनी ने ऋण उपकरण के माध्यम से ऋण उपकरण या धन सहित आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से पैसा नहीं बढ़ाया है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर कंपनी द्वारा किसी भी सामग्री धोखाधड़ी या कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किसी भी धोखाधड़ी पर ध्यान दिया गया है या रिपोर्ट नहीं किया गया है साल।

नए अधिनियम के अनुसूची वी के साथ पढ़ी गई धारा 197 के प्रावधान कंपनी के लिए एक सीमित सीमित कंपनी के लिए लागू नहीं हैं। इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कंपनी निधि कॉम्पनी नहीं है इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी परीक्षाओं के आधार पर संबंधित पार्टियों के साथ दर्ज सभी लेनदेन लागू होने पर नए अधिनियम की धारा 177 से 188 के प्रावधानों के अनुपालन में हैं।

कंपनी के पास लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के दौरान किसी भी अधिमानी आवंटन या शेयरों की पूरी नियुक्ति या पूरी तरह से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं है।

कंपनी ने नए अधिनियम की धारा 192 के प्रावधानों के तहत निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है।

कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45.ए। के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

कलानी एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन - 000722 सी

ह/-

(कमलेश कुमार खंडेलवाल)

पार्टनर

संख्या 416293

स्थान: जयपुर

तारीख: 14 जून 2018

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड अलवर

सिन संख्या: U01122RJ2016PTC049648

31 मार्च 2017 तक के अनुसार बैलेंस शीट **(राशि, रुपये में)**

	विवरण	नोट नंबर	31 मार्च 2018 तक के अनुसार	31 मार्च 2017 तक के अनुसार
	शेयर एवं दायित्व			
1	**अंशधारक कोष**			
	अंश पूँजी	1	4394900	573200
	संचित एवं अधिशेष	2	5605501	(4822)
2	**अंश पूँजी के आवेदन लंबित आवंटन**		317572	440870
3	**आस्थगित अनुदान**	3	20226641	17593225
4	**गैर–चालू दायित्व**			
	अन्य दीर्घकालीन दायित्व	4	3530000	1250000
	दीर्घकालीन प्रावधान	5	355402	118381
	चालू दायित्व			
5	लधु अवधि उधार	6	47645359	....
	व्यापारिक देनदारियाँ	7	9400982	3645798

	अन्य चालू दायित्व	8	16250878	11260546
	अल्पकालीन प्रावधान	9	1021663	80025
	कुल		**108748898**	**34957223**
	संपत्तियां			
1	**गैर– चालू संपत्तियां**	10		
	स्थायी संपत्तियां			
	मूर्त संपत्तियां		20203711	11696127
	अमूर्त संपत्तियां		23989	39608
	कार्यरत पूँजी		.....	5857490
	आस्थगित कर संपत्तियां (शुद्ध)	11	120945	80178
	दीर्घकालीन लोन और एडवांस	12	34500	638965
2	**चालू संपत्तियां**			
	स्टॉक	13	1162999	551594
	व्यापारिक लेनदारियाँ	14	57696908	3615741
	नकदी और नकदी समतुल्य	15	29213537	12407731
	अल्पकालीन लोन और एडवांस	16	92731	51184
	अन्य चालू संपत्तियां	17	199578	18606
	कुल		**108748898**	**34957223**
	देखें संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं	I.6		

वास्ते निदेशक मंडल और उनकी तरफ से	हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में

ह/–	ह/–	ह/–	**वास्ते कलानी एण्ड कंपनी के लिए**
			चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
सीमा बाई जाट	धर्मेन्द्र कुमार	गीता बाई	एफ आर एन 000722सी
अध्यक्षा	निदेशक और मुख्य कार्यकारी	निदेशक	ह/–
डिन 07639700	डिन 07563916	डिन 0747037	
			कमलेश कुमार खंडेलवाल
स्थान : अलवर			पार्टनर
तारीख :			एम. न.416293

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड अलवर

सिन संख्या: U01122RJ2016PTC049648

01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 का लाभ हानि विवरण **(राशि, रुपये में)**

विवरण	नोट नंबर	31 मार्च 2018 तक के अनुसार	31 मार्च 2017 तक के अनुसार
कार्य संचालन से मिलने वाला राजस्व	18	263293076	26812014
अन्य आय	19	3747910	4017546
कुल राजस्व		**267040986**	**30829560**
खर्च:			
व्यापार में लगे स्टॉक की खरीदारी	20	228632241	23675057
संचालन शुल्क	21	13450154	2141788
व्यापार में लगे स्टॉक की इन्वेंटरी में परिवर्तन	22	(611404)	(551594)
कर्मचारी लाभ खर्च	23	6120621	2750451
मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	10	.....	.....
वित्त लागत	24	2075772	3784
अन्य खर्च	25	9664289	2810073
कुल खर्च		**259331674**	**30829560**
		7709312	

पूर्व अवधि मद और कर पूर्व लाभ			
पूर्व अवधि आय . पिछले साल खर्च की वापसी			
कर पूर्व लाभ			
कर खर्च:			
		7729312	.....
वर्तमान कर			
आस्थगित कर खर्च / (आय)			
शुद्ध कर खर्च		2160000	85000
		(40766)	(80178)
कर पूर्व लाभ		7729312	.....
कर व्यय			
वर्तमान कर		2160000	85000
पहले साल कर		(244)	
स्थगित कर व्यय / (आय)		(40766)	(80178)
शुद्ध कर व्यय			4822
अवधि के लिए लाभ / (हानि)		**5610323**	(4822)
कमाई प्रति इक्विटी शेयर	26		
100/– रु का प्रत्येक इक्विटी शेयर			
मूल		198.52	(4.90)

डायलूटेड		198.52	(4.90)
प्रति शेयर कमाई का हिसाब करने में इस्तेमाल किए गए शेयरों की संख्या		28260.07	985.02
मूल		28260.07	985.02
डायलूटेड			
देखें संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं	I.6		

निदेशक मंडल की तरफ से और उसके लिए

आज तक की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में

कलानी एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन: 000722 सी

सीमा बाई जाट धर्मेंद्र कुमार गीता बाई

अध्यक्ष निदेशक और सीईओ निदेशक

डिन:07639700 डिन :07563916 डिन: 07470371

कमलेश कुमार खंडेलवाल

पार्टनर

एम. न. 416293

जगह: अलवर

तारीख :

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड अलवर

सिन संख्या: U01122RJ2016PTC049648

01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए नकदी प्रवाह विवरण **(राशि, रुपये में)**

विवरण	01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए		19 मार्च 2016 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए	
	विवरण	राशि	विवरण	राशि
संचालन गतिविधियों से होने वाला नकदी प्रवाह				
लाभ और हानि के विवरण के आधार पर कर पूर्व शुद्ध लाभ		7729312	.	...
समायोजन के लिए :				
वित्त लागत	2075772		3784	....
मूल्य ह्रास तथा क्षति संबंधी व्यय	....		.....	
कर्मचारी लाभों हेतू प्रावधान	241905		124663	
प्राप्त ब्याज	(365651)		(72583)	
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व व्यावसायिक लाभ	1950966		55839	
समायोजन के लिए :				
अन्य दीर्घकालीन देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	2280000		1250000	
अन्य लधुकालीन देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	47645359		.....	
व्यापार देय राशियों में वृद्धि / (कमी)	5755184		3645798	

मौजूदा देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	4990331		11258346	
व्यापार प्राप्य राशियों में (वृद्धि) / कमी	(54081168)		(3615741)	
स्टॉक में (वृद्धि) / कमी				
अन्य मौजूदा संपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	(611405)		(551994)	
लोन और एडवांस में (वृद्धि) / कमी	562919		(698881)	
संचालन से उत्पन्न / (में इस्तेमाल की गई) नकदी	8262519		11324862	
भुगतान किया गया / (लौटाया गया) शुद्ध आयकर	1174307		.....	
संचालन गतिविधियों से होने वाला / (में इस्तेमाल किया गया) शुद्ध नकदी प्रवाह	**14817525**		**11324862**	
निवेश गतिविधियों से होने वाला नकदी प्रवाह	(7158400)		(541600)	
बैंक बैलेंस में कमी / (वृद्धि) जिसे नकदी और उसके समतुल्य नहीं माना जाता				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीदारी (प्राप्त अनुदान का शुद्ध भाग)				
ब्याज से होने वाली आय	365651		72583	
निवेश गतिविधियों (ठ) से होने वाला / (में इस्तेमाल किया गया) शुद्ध नकदी प्रवाह	(6792749)		(469017)	
वित्तीय गतिविधियों से होने वाला नकदी प्रवाह				
शेयर पूँजी (इक्विटी शेयरों को जारी करने) से होने वाली प्राप्तियां	3380830		573200	
अंश पूँजी के आवेदन लंबित आवंटन लंबित आवंटन	317572		440870	
वित्त लागत	(2075772)		(3784)	
वित्तीय गतिविधियों (ब) से होने वाला / (में इस्तेमाल किया गया) शुद्ध नकदी प्रवाह	**1622629**		**1010286**	
नकदी और नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि / (कमी)		9647406		11866131
नकदी और नकदी समतुल्य का ओपनिंग बैलेंस		11866131		....

नकदी और नकदी समतुल्य का क्लोजिंग बैलेंस		21513537		**11866131**

ध्यान दें: नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल है

विवरण	31.03.2018 तक के अनुसार	31.03.2017 तक के अनुसार
हाथ में मौजूद नकदी		.
बैंकों में मौजूद बैलेंस		
चालू खाता	14515311	4460960
बचत खाता	5984370	305171
जमा खाता	1013856	7100000
कुल	**21513537**	**11866131**

131

वास्ते निदेशक मंडल और उनकी तरफ से

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में

वास्ते कलानी एण्ड कंपनी के लिए

ह/– ह/– ह/–

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

000722 सी

सीमा बाई जाट धर्मेन्द्र कुमार गीता बाई

ह/–

अध्यक्षा निदेशक और सीईओ निदेशिका

कमलेश कुमार खंडेलवाल

डिन 07639700 डिन 07563916 डिन 07470371

पार्टनर

एम. न. 416293

स्थान :

तारीख :

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, अलवर

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

कॉर्पोरेट जानकारी

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") को कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग प। के अंतर्गत 19 मार्च को निगमित किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक रूप से सदस्यों के दूध और दुग्ध उत्पादों का संग्रहीकरण, खरीद, प्रक्रमण के उद्यम का संचालन करना और उस का विपणन करना था, ताकि सदस्यों के हित के लिए दूध के उत्पादन को बढ़ाने और उससे संबंधित किसी गतिविधि का हिस्सा या उससे संबंधित मानी जानी वाली गतिविधियों के लिए प्रजनन, चारा, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान की जा सके। कंपनी राजस्थान के अलवर जिले के गाँवों में मिल्क पूलिंग पॉइंट्स (एमपीपी) से सीधे दूध उत्पादकों से दूध खरीदती है और विभिन्न डेयरियों को बेचती है। कंपनी पशु चारे का व्यवसाय भी करती है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ निम्नलिखित हैं:

लेखांकन का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत उल्लिखित लेखांकन मानकों और कंपनी अधिनियम, 2013 ("नया अधिनियम")/कंपनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम"), जो लागू हो सके, के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार तैयार किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 465 के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार (धारा को अधिसूचित करना अभी बाकी है), कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग प। के प्रावधानों को एक उत्पादक कंपनी पर यथोचित परिवर्तनों सहित इस ढंग से लागू किया जा सके मानो कंपनी अधिनियम, 1956 को रद्द नहीं किया गया है जब तक उत्पादक कंपनियों के लिए एक विशेष अधिनियम लागू नहीं किया जाता। उत्पादक कंपनियों के सम्बन्ध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। जैसा कि इस तरह का निष्कर्ष निकाला गया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान, उत्पादक कंपनी पर इस ढंग से लागू हो सकते हैं मानो कंपनी अधिनियम, 1956 को रद्द नहीं किया गया है। वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत सम्मलेन के अंतर्गत लेखांकन के उपार्जित आधार पर तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियों का लगातार पालन किया गया है।

अनुमानों का उपयोग

भारतीय जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को कथित परिमाण में परिसंपत्तियों और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) और वर्ष के दौरान कथित आय और व्यय में विचाराधीन अनुमान और आकलन करना पड़ता है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में इस्तेमाल किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और तर्कसंगत हैं। भावी परिणाम इन अनुमानों के कारण अलग हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिणामों का पता चला है / प्राप्त हुआ है।

इन्वेंटरी का मूल्य निर्धारण

इन्वेंटरी का मूल्य निर्धारण, अव्यवस्था और अन्य हानियों, इनमें से जिसे आवश्यक माना जाता है, की व्यवस्था करने के बाद कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य मान पर किया जाता है। पहले आओ पहले जाओ तरीके का इस्तेमाल करके लागत का निर्धारण किया जाता है। लागत में वे सभी शुल्क शामिल होते हैं जो इन्वेंटरी को उनके वर्तमान स्थान और हालत में लाने पर खर्च होते हैं । छोटे–छोटे औजार, केमिकल और उपभोज्य वस्तुओं को उनकी खपत के लिए ख़रीदे जाने पर उन पर शुल्क लिया जाता है।

नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण को 'नकदी प्रवाह विवरण' पर लेखांकन मानक (') में उल्लिखित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है, जहाँ असाधारण वस्तु और कर पूर्व लाभ/(हानि) को गैर–नकदी प्रकृति के लेनदेन के प्रभाव के लिए और अतीत या भावी नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी आस्थगन या उपार्जन समायोजित कर दिया जाता है।
कंपनी की संचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से होने वाले नकदी प्रवाह को उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग कर दिया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण के लिए, नकद में हाथ में मौजूद नकदी और बैंकों के पास मौजूद डिमांड डिपॉजिट शामिल है। नकदी समतुल्य अल्पकालीन बैलेंस (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम अवधि की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यंत लिक्विड निवेश जिन्हें ज्ञात परिमाण वाली नकदी में तुरंत परिवर्तित किया जा सकता है और जो मूल्य में परिवर्तन के अमहत्वपूर्ण जोखिम के अधीन होता है।

राजस्व मान्यता

ऐसी आयों को विक्रय से आय माना जाता है जिसमें शुद्ध प्राप्ति, व्यापारिक बट्टे महत्वपूर्ण जोखिम के हस्तांतरण तथा क्रेता से स्वामित्व का प्रतिफल जोकि ग्राहकों को माल की सुपुर्दगी के समय होता है, को विक्रय के रूप में जाना जाता है ।

अन्य आय

सदस्यों से जमा और एडमिशन शुल्क पर ब्याज आय को उपार्जित आधार पर मान्यता दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) के लिए लेखांकन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों को लागत कम संचित मूल्यह्रास / परिशोधन और क्षति हानि पर लिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और स्थायी संपत्तियों की लागत में किसी ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट का शुद्ध क्रय मूल्य, अन्य कर (ऐसे करों को छोड़ कर जो कर अधिकारियों से पुनः वापस लिया जाना है), और संपत्ति को अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार करने पर सीधे तौर पर होने वाला खर्च, अन्य आकस्मिक खर्च और योग्यतामूलक संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण से संबंधित उधार पर लगने वाला ब्याज जिस तारीख तक संपत्ति अपने अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को खरीदने के बाद उस पर होने वाले खर्च को सिर्फ तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इस तरह के खर्च के परिणामस्वरूप इस तरह की संपत्ति से भविष्य में होने वाले लाभ में वृद्धि होती है जो उसके प्रदर्शन के पूर्व आकलित मानक से परे होता है।

काम में लगी पूँजी

संपत्तियाँ जिनको अभी प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है उनको लागत पर दर्शाया गया है जिसमें सीधी लागत और उससे संबन्धित खर्च जिसमें आकस्मिक खर्चे और आरोप्य ब्याज की राशि शामिल है ।

मूल्यह्रास और परिशोधन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों पर होने वाला मूल्यह्रास, संपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा विधि पर प्रदान की गई है, जिसके लिए परिसंपत्ति की प्रकृति, प्रबंधन द्वारा अनुमानित संपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन, संपत्ति की संचालन अवस्था, रिप्लेसमेंट का पूर्व इतिहास, प्रत्याशित प्रौद्योगिकीय परिवर्तन, विनिर्मित वारंटियाँ और रख रखाव सहायता इत्यादि को ध्यान में रखा जाता है।

मूल्यह्रास के लिए विचार किया जाने वाला उपयोगी जीवन निम्नलिखित हैः

वर्णन	उपयोगी जीवन (वर्षों में)
संयंत्र और मशीनरी	10

दूध के डिब्बे	4
फर्नीचर और फिक्सचर	15
ऑफिस उपकरण	10
कंप्यूटर और प्रिंटर	3
अमूर्त संपत्तियां	3

मूल्यह्रास, अधिग्रहण की तारीख से यथानुपात आधार पर प्रदान किया जाता है।

अनुदान के लिए लेखांकन

अनुदान और सब्सिडी को तब मान्यता दी जाती है जब तर्कसंगत आश्वासन होता है कि कंपनी उससे संबंधित शर्तों का पालन करेगी तब अनुदान / सब्सिडी मिलेगी। मूल्यह्रास योग्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित अनुदानों को आस्थगित अनुदान माना जाता है जिसे परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर एक प्रणालीगत और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है अर्थात् इस तरह के अनुदान से खरीदी जाने वाली संपत्तियों पर मूल्यह्रास शुल्क को आस्थगित अनुदान से उपयुक्त किया जाता है और कम किए गए मूल्यह्रास शुल्क के माध्यम से लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।
राजस्व अनुदान और सब्सिडी को समय–समय पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है जो उनके लिए लागत के साथ उनका मिलान करने के लिए आवश्यक होते हैं जिनके लिए उन्हें एक प्रणालीगत आधार पर मुआवजा देने का इरादा होता है।

कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में प्रॉविडेंट फंड, ग्रैच्युटी और लीव एनकैशमेंट शामिल हैं।

परिभाषित योगदान योजनाएं

प्रोविडेंट फण्ड में कंपनी के योगदान को परिभाषित योगदान योजना माना जाता है और इन्हें कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान किए जाने पर आवश्यक पड़ने पर योगदान की राशि के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

परिभाषित लाभ योजनाएं

ग्रेच्यूटी और लीव एन्कैशमेंट को परिभाषित लाभ योजना माना जाता है। ग्रेच्यूटी और लीव एन्कैशमेंट, बैलेंस शीट की तारीख को किए जाने वाले बीमांकिक मूल्य निर्धारण पर दिया जाता है। रिपोर्टिंग तारीख को 'प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट' (पीयूसी) के अनुसार एक बीमांकिक मूल्य निर्धारण के आधार पर वृद्धिमूलक देनदारी को लाभ और हानि खाते के विवरण में शामिल किया जाता है। बीमांकिक लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने वाले प्रत्याशित अल्पकालीन कर्मचारी लाभ की छूट रहित राशि को वर्ष के दौरान मान्यता दी जाती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं। इन लाभों में प्रदर्शन प्रोत्साहन और मुआवजा युक्त अनुपस्थिति शामिल होती है जो अवधि के अंत के बाद बारह महीने के भीतर होने की उम्मीद होती है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करता है।

दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

ऐसी प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ, जो कर्मचारी द्वारा संबन्धित सेवा प्रदान करने की अवधि के समापन के बारह माह की अवधि में होने की अपेक्षा नहीं थी को एक निर्धारित लाभ दायित्व के आधार पर वर्तमान मूल्य पर दायित्व का निर्धारन चिट्ठे की तिथि बीमांकन मूल्य के आधार पर किया जाता है।

पट्टों का लेखांकनरू

पट्टा सम्बन्धी समझौते जहाँ एक संपत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में जोखिम और पुरस्कार बाद में पट्टादाता पर आ जाती है उसे संचालन पट्टे के रूप में मान्यता दी जाती है। संचालन पट्टे के अंतर्गत पट्टे के किराए को सीधी रेखा आधार पर लाभ और हानि खाते के विवरण में मान्यता दी जाती है।

प्रति शेयर कमाई

प्रति शेयर मूल आय का निर्धारण, कर पश्चात शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान अदत्त रहे समता अंशों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया जाता है । डायलूटेड प्रति अंश आय की गणना कर पश्चात के लाभों को भारित औसत विधि से वर्ष के दौरान अदत्त रहे भारित औसत समता अंशों की संख्या (एंटी डायलूटेड समता अंशों की संख्याओं को छोडकर) से भाग देकर किया जाता है ।

आय पर कर के लिए लेखांकन

आयकर में चालू कर तथा स्थगित कर शामिल है । चालू कर, कर की वह राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों एवं लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय पर लागू कर दरों से देय है।

स्थगित कर को समय के अंतराल से जाना जाता है । कर योग्य आय तथा लेखांकन आय में अंतर के कारण जो एक समयावधि में अर्जित हुई है जिसको उसके बाद की एक या उससे अधिक अवधि में वापस किया जा सकता है। स्थगित कर की गणना की दर तथा गणना की तिथि को लागू होने वाले कर के नियमों के आधार पर की जाती है । स्थगित कर दायित्वों की गणना सभी विभिन्न समयावधियों के लिए की जाती है । स्थगित कर सम्पत्तियों की पहचान विभिन्न मदों की समय विभिन्नता के आधार पर (गैर – शोषित – मूल्य ह्रास एवं आगे ले जायी गयी हानियों को छोड़ कर) यह मानते हुए कि भविष्य में प्रयाप्त भावी कर योगी आय उपलब्ध होगी जिससे इनकी वसूली की जा सकती है । इस प्रकार अगर कोई गैर – शोषित – मूल्य ह्रास तथा आगे ले जायी गयी हानियाँ बचती हैं तो प्रयाप्त भावी कर योग्य आय सम्पत्तियों की वसूलियों हेतु उपलब्ध रहेगी। स्थगित कर सम्पत्तियों तथा दायित्वों का समायोजन किया जाता है यदि ऐसे मद लागू होने वाले समान कर प्रावधानों के आधार पर है तथा कंपनी को इस प्रकार के समायोजन को कानूनी तौर पर लागू करने का अधिकार है ।

संपत्तियों की क्षति

प्रत्येक बैलेंस शीट तारीख को, कंपनी यह पता लगाने के लिए अपनी निश्चित संपत्तियों के अग्रगामी मूल्य की समीक्षा करती है कि इस बात का कोई संकेत है या नहीं कि उन परिसंपत्तियों को एक क्षति हानि का सामना करना पड़ा है या नहीं। यदि इस तरह का कोई संकेत मिलता है तो क्षति हानि की सीमा का निर्धारण करने के लिए संपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। उपयोगाधीन मूल्यमान का आकलन करते समय परिसंपत्ति के लगातार उपयोग से और उसके निपटान से प्रत्याशित अनुमानित भावी नकदी प्रवाह पर एक पूर्व छूट दर का इस्तेमाल करके उनके वर्तमान मूल्य में छूट दिया जाता है जो पैसे के समय मूल्य के मौजूदा बाजार आकलन और संपत्ति के निर्दिष्ट जोखिम को दर्शाता है। क्षति हानि के पलटाव को लाभ और हानि के विवरण में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्तियां

प्रावधानों को उन देनदारियों के लिए मान्यता दी जाती है जिन्हें सिर्फ अनुमान की पर्याप्त सीमा का इस्तेमाल करके मापा जा सकता है, यदिः

कंपनी के पास एक अतीत की घटना के परिणामस्वरूप एक वर्तमान दायित्व है।

दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों के एक संभावित बहिर्प्रवाह की उम्मीद की जाती है और

विश्वसनीय ढंग से दायित्व की राशि का अनुमान लगाया जा सकता है।

एक प्रावधान का निपटान करने के लिए आवश्यक खर्च के सम्बन्ध में प्रत्याशित प्रतिपूर्ति को सिर्फ तभी मान्यता दी जाती है जब आभासी रूप से यह निश्चित होता है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी।

निम्नलिखित में आकस्मिक देनदारी का खुलासा किया जाता है:

एक पूर्व घटना से उत्पन्न होने वाला एक वर्तमान दायित्व, जब यह संभावना नहीं रहती है कि दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों के एक बहिर्प्रवाह की जरूरत पड़ेगी।

एक संभावित दायित्व, जब तक संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभाव्यता दूरस्थ नहीं होती है। आकस्मिक संपत्तियों को न तो मान्यता दी जाती है न ही उनका खुलासा किया जाता है।

संचालन चक्र

कंपनी के उत्पादों /गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर और संपत्तियों के अधिग्रहण और उन्हें नकदी या नकदी समतुल्य में बदलने के बीच के सामान्य समय के आधार पर, कंपनी ने अपनी संपत्तियों के वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने संचालन चक्र को 12 महीने और देनदारियों को मौजूदा और गैर–मौजूदा देनदारियों के रूप में निर्धारित किया है।

सामान्य

उन जगहों को छोड़कर जहाँ कहीं कहा गया है । लेखांकन नीतियाँ आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है और लगातार लागू की गई हैं ।